FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0238 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/10/2024 19:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): बुधवार Date From (दिनांक से): 23/10/2024 Date To (दिनांक तक): 23/10/2024
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:30 बजे Time To (समय तक): 17:46 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/10/2024 Time (समय): 18:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 25/10/2024 19:56:27 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 01 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b)Address(पता): JAL SANSADHAN VIBHAG, DISTRICT HANUMANGARH

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** INDRAJ

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RANJEET RAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PANCHAYAT KHOTHAWALI, WARD NO.15 CHAK 35 M.O.D., PILIBANGA, PILIBANGA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PANCHAYAT KHOTHAWALI, WARD NO.15 CHAK 35 M.O.D., PILIBANGA, PILIBANGA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SATPAL		पिता:SAHABRAM	1. WARD NO.56,SURISHIYA,HANUMANGARGH JN.,HANUMANGARGH,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ विषय -रिस्वत मांगने वाले सरकारी कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मे प्रार्थी इन्द्राज पुत्र रणजीतराम जाती जाट उम्र-39 वर्ष निवासी वाड न 15 चक 35 MOD पंचायत खोथावाली जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हू मेरे पिता श्री रणजीतराम की 9 1/2 बिघा कृर्षी भुमी मेरे गांव के पास है जहा गांव से जाने का एक ही रास्ता है जिसके बिच पानी का खाला है जिस पर करीब 20 वर्ष पहले हमारे खेत में जाने के लिए पुलीया बनी हुई है करीब दिनांक 10-10-24 के आसपास सिंचाई भीभाग खण्ड 2 हनुमानगढ़ से एईएन साहब हमारे गांव आए और मुझे बताया की इस पुलिया को तोडने के लिए किसी ने शिकायत की है और यह पुलिया सिचांई भिभाग द्वारा स्वीकत नहीं है और आपके खेत मे आने जाने के लिए जरूरी है इसलिए आप मेरे कार्यालय मे इस पुलिया की स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र की फाईल जमा करवा दो हम नियमानुसार पुलिया को स्वीकृत कर देगे जिसके बाद मेरे द्वारा ही मेरे पिता के कागजी काम करने के कारण मेने पिताजी से पुलिया स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र लेकर फाईल लगा की और दिनांक 18-10-24 को AEN सिचाई भीभग खण्ड ii कार्यालय हनुमानगढ़ आकर वहा कार्यालय के बाबू सतपाल जाखड को फाईल जमा करवा दि उस समय सतपाल जाखड बाबू AEN सिंचाई भीभाग खण्ड ii कार्यालय ने मुझसे कहा की मै यहा से तुम्हारी फाईल मे इस्टीमेट बनवाकर XEN कार्यालय भिजवा दुगा पर इसके लिए खर्चा पानी लगेगा जिसके बाद मै दिनांक 21-10-24 को फिर से फाईल का पता करने AEN कार्यालय गया तो वहा बाबू सतपाल जाखड़ कार्यालय मे मिले और मुझे कहा की तूम 6000रू रसीद के तथा 15000 हजार रू(पन्द्रह हजार रू) मुझे खर्चो पानी के दे दो फिर मे तुम्हारी फाईल में इस्टीमेट बनवाकर XEN कार्यालय भिजवा दुगा मुझे भी उपर अधीकारीयों को पैसे देने पडते है श्रीमान मुझसे सतपाल जाखड, सरकारी बाबू मुझसे मेरे जाएज काम के बदले रिस्वत 15000रू की माग कर रहा है में सतपाल जाखड बाबू को रिस्वत नही देकर उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हू मेरी सतपाल जाखड बाबू AEN सिंचाई खण्ड ii कार्यालय से काई पुरानी रजीस नही है, और ना ही उससे पैसो का कोई लेन देन बाकी है। कृप्या उचीत कार्यवाही करे दिनांक 23-10-24 प्रार्थी एसडी इन्द्राज पुत्र रणजीतराम जाती जाट उम्र 39 वर्ष चक 35 MOD पंचायत खोथावाली जी. हनुमानगढ़ मो. [redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 23.10.2024 को वक्त 12.30 पीएम प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री इन्द्राज पुत्र रणजीत राम जाति जाट उम्र-39 वर्ष निवासी वार्ड नं. 15 चक 35 एम.ओ.डी. पंचायत खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ने ब्युरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित होकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधिंत एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होने अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया, परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया । परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होना बताया व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री इन्द्राज ने दरियाफत पर बताया कि मै कक्षा 9 तक पढा लिखा हूं और खेतीबाड़ी का कार्य करता हूं। मेरे पिता श्री रणजीत राम वृ०द्ध है और उनके समस्त बाहरी कार्य मेरे द्वारा ही किये जाते है। मेरे पिता श्री रणजीत राम की 9.5 बीघा (साढे नौ बीघा) कृषि भूमि मेरे गांव के पास है जहां गांव से जाने का एक ही रास्ता है जिसके बीच पानी का खाला है जिस पर करीब 20 वर्ष पहले हमारे खेत में जाने के लिए पुलिया बनी हुई है, करीब दिनांक 10.10.2024 के आसपास सिंचाई विभाग खण्ड ii हनुमानगढ़ से एईएन साहब हमारे गांव आए और मुझे बताया कि इस पुलिया को तोड़ने के लिए किसी ने शिकायत की है और यह पुलिया सिचांई विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है और आपके खेत में आने जाने के लिए जरूरी है इसलिए आप मेरे कार्यालय में इस पुलिया की स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र की फाईल जमा करवा दो हम नियमानुसार पुलिया को स्वीकृत कर देगें जिसके बाद मेरे द्वारा ही मेरे पिता के कागजी काम करने के कारण मैने पिताजी से पुलिया स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र लेकर फाईल तैयार की और दिनांक 18.10.2024 को एईएन सिचांई विभाग खण्ड ii कार्यालय हनुमानगढ़ आकर वहां कार्यालय के बाबू सतपाल जाखड़ को फाईल जमा करवा दी उस समय सतपाल जाखड़ बाबू एईएन सिंचाई विभाग खण्ड ii कार्यालय ने मुझसे कहा की मैं यहां से तुम्हारी फाईल में एस्टीमेट बनाकर एक्सईएन कार्यालय भिजवा दूंगा पर इसके लिए खर्चा पानी लगेगा जिसके बाद में दिनांक 21.10.2024 को फिर से फाईल का पता करने एईएन कार्यालय गया तो वहां बाबू सतपाल जाखड़ कार्यालय में मिले और मुझे कहा की तुम 6000रूपये रसीद के तथा 15000/-रूपये मुझे खर्चे पानी के दे दो

फिर में तुम्हारी फाईल में एस्टीमेट बनाकर एक्सईएन कार्यालय भिजवा दूंगा, मुझे भी उपर अधिकारियों को पैसे देने पड़ते है, श्रीमान मुझसे सतपाल जाखड़ सरकारी बाबू मेरे जायज काम के बदले 15000/-रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, मैं सतपाल जाखड़ बाबू को रिश्वत नहीं देकर उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं मेरी सतपाल जाखड़ बाबू एईएन सिंचाई खण्ड ii कार्यालय से कोई पुरानी रंजिश नही है और ना ही उससे पैसो का कोई लेनदेन बाकी है। कृपया उचित कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री इन्द्राज के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड की फोटोप्रति शामिल पत्रावली की गई। समय 01.40 पीएम पर परिवादी श्री इन्द्राज को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, फिर परिवादी श्री इन्द्राज व ब्युरो के श्री विजय प्रसाद कानि. 123 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री इन्द्राज को गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री इन्द्राज व श्री विजय प्रसाद कानि0 123 को सिचांई विभाग हनुमानगढ़ के लिए रवाना किया। समय 02.50 पी.एम. पर परिवादी श्री इन्द्राज व विजय प्रसाद कानि0 123 ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। विजय प्रसाद कानि0 ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी श्री इन्द्राज ने बताया कि मैं व विजय प्रसाद कानि. ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर जल संसाधन विभाग के पास पहुचें जहां पर श्री विजय प्रसाद कानि. ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया मै जलसंसाधन विभाग की तरफ रवाना हो गया श्री विजय प्रसाद बाहर ही रूक गये थे। मै जल संसाधन विभाग में जाकर श्री सतपाल बाबू से मिला तो उन्होने कहा कि आपकी पुलिया की फाईल तैयार कर उच्च कार्यालय के लिए भिजवा दी जायेगी, आपकी 6000/-रूपये की तो रसीद कटेगी और 15000/-रूपये मुझे खर्चे के देने होगे और आज ही शाम 6 बजे तक देने का कहा है। मेरे द्वारा हमारे बीच हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड कर ली और वहां से रवाना होकर जल संसाधन विभाग के बाहर आ गया जहां पर विजय प्रसाद कानि. मिले जिन्हे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिन्होने बंद कर अपने पास रखा और वहां से रवाना होकर हम दोनो ब्यूरो कार्यालय आ गये। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर का चलाकर सुना गया तो उसमें उक्त तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी ने अवगत करवाया है कि आरोपी को रिश्वत राशि आज ही दी जायेगी इस कारण रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईंदा तैयार की जायेगी, डी.वी.आर. को सुरक्षित मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रखा। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 03.30 पी.एम. पर परिवादी श्री इन्द्राज ने बताया कि है आरोपी को आज ही रूपये देने है इस कारण गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने के कारण श्री खियांराम सउनि. को उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग के नाम तहरीर देकर दो अधिकारी/कर्मचारी तलब कर लाने हेतु रवाना किया गया। समय 03.35 पी.एम. पर परिवादी ने कहा कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि का इंतजाम करके वापस आता हूं, जिसे आवष्यक हिदायत कर रवाना किया। समय 04.00 पी.एम. पर श्री खियांराम सउनि. कार्यालय उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग हनुमानगढ़ श्री करण शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री सुरेश कुमार सहायक लेखाधिकारी प्रथम को तलब कर लाये। समय 04.10 पीएम पर परिवादी रिश्वत राशि की व्यवस्था कर पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। समय 04.20 पीएम पर श्री करण शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री सुरेश कुमार सहायक लेखाधिकारी प्रथम को परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यो से अवगत करवाया गया जिनसे कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने के बारे में पूछने पर अपनी सहमति प्रदान करने पर उक्त को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया, एंव परिवादी श्री इन्द्राज से उनका आपसी परिचय करवाया गया। समय 04.30 पीएम पर परिवादी इन्द्राज पुत्र श्री रणजीत राम जाति जाट उम्र-39 वर्ष निवासी 35 एम.ओ.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ने आरोपित श्री सतपाल जाखड़ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000/- रूपये मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है - क्र.स. नोटों का विवरण नम्बर 1 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989519 2 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989520 3 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989521 4 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989522 5 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989523 6 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989524 7 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989525 8 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989526 9 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989527 10 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989528 11 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989529 12 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989530 13 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989531 14 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989532 15 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989533 16 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989534 17 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989535 18 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL

989536 19 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989537 20 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989538 21 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989539 22 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989540 23 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989541 24 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989542 25 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989543 26 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989544 27 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989545 28 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 HL 989546 29 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 GT 710132 30 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 CU 464559 रूबरू गवाहन श्री खियांराम सउनि. से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह करण शर्मा वरिष्ठ सहायक से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 15,000 रू. श्री खिंयाराम सउनि0 से ही परिवादी के पहने कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. [redacted] पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री खिंयाराम सउनि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईष प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री इन्द्राज को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.20 पीएम पर परिवादी श्री इन्द्राज व श्री विजय प्रसाद व श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन क.स. को प्राईवेट वाहन से, मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन श्री करण शर्मा , श्री सुरेश कुमार, श्री वरूण कुमार कानि0 97, श्री विनय विशाल कानि. 576 मन् पुलिस निरीक्षक के प्राईवेट वाहन से, श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस, श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री संदीप मु.आ., श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. सरकारी वाहन से मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक अनुसंधान सामग्री व वक्त रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डिजिटल वाईस रिकॉर्डर हमराह लेकर वास्ते गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुए। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री खियांराम सउनि. को ब्यूरो कार्यालय पर मुनासिब हिदायत कर छोडा गया। समय 05.30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के पास पहुंच परिवादी को आरोपी से संपर्क करने हेतु जलसंसाधन विभाग की तरफ रवाना कर ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 05.47 पीएम पर परिवादी इन्द्राज द्वारा जरिये मिस कॉल मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर जलसंसाधन विभाग हनुमानगढ़ की पार्किंग में पहुंचा जहां परिवादी खड़ा मिला जिसने पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया यह श्री सतपाल जाखड़ बाबूजी है जिन्होने मेरे से खेत में बनी पुलिया स्वीकृत करने हेतु मेरे से रिश्वत ली है जिसमें से कुछ रूपये इन्होने अपनी जेब में व कुछ रूपये कार की डेशबोर्ड में रखे है, परिवादी श्री इन्द्राज से पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया गया, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली दी गई, उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सतपाल और यू.डी.सी. जलसंसाधन विभाग होना बताया, उससे परिवादी श्री इन्द्राज से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने कहा की उधार लिया है, जिस पर परिवादी स्वतः ही बोला कि कोई उधार नही मेरे से सतपाल जी ने खेत के रास्ते में बनी पुलिया को स्वीकृत करने हेतु रिश्वत राशि ली है जो इन्होने मेरे से मांगी थी वो ही रिश्वत राशि दी गई है। आरोपी के दांए हाथ को श्री विजयप्रसाद कानि. व बांए हाथ को विनय विशाल कानि. से पकड़वाये गये, आरोपी श्री सतपाल से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि कुछ राशि मेरी बांयी जेब मे है व कुछ राशि कार की डेशबोर्ड में रखी हुई है। आरोपी सतपाल एक पैर से विकंलाग है। गवाह श्री करण शर्मा को निर्देश देने पर गवाह श्री करण शर्मा ने आरोपी श्री सतपाल की पहनी पेंट की बांयी साईड की जेब को चैक किया तो उसमें से पांच-पांच सौ रूपये की थैई निकली जिसे गिनकर गवाह श्री करण शर्मा

ने 6000रूपये होना बताया जिसे निर्देश देकर गवाहन के पास सुरक्षित रखवाया व आरोपी से अन्य राशि के बारे में पूछने पर अपनी कार के डेशबोर्ड में रखी होना बताया जिस पर आरोपी सतपाल के बताये अनुसार पास में पार्किंग में खड़ी सफेद कलर की स्वीफ्ट गाड़ी नं. एचआर 30 जेड 1116 के लॉक को खुलवाया गया ओर कार के डेशबोर्ड में देखा तो एक पीले रंग के लिफाफे के उपर पांच-पांच सौ के दो नोट कुल एक हजार रूपये व उसके नीचे डेशबोर्ड पर पांच-पांच सौ रूपये कि थैई मिली जिसे गवाह श्री करण शर्मा ने गिनकर 8000 रूपये इस प्रकार कुल 9000रूपये होना बताया। जिस पर गवाह श्री करण शर्मा को रिश्वत राशि सुरक्षित अपने पास रखने के निर्देश दिये गये। पार्किंग स्थल पर भीड होने के कारण आरोपी श्री सतपाल, परिवादी श्री इन्द्राज व स्वतंत्र गवाह को साथ लेकर पार्किंग के सामने स्थित आरोपी श्री सतपाल के कार्यालय में पहुंच आगे की कार्यवाही शुरू की। श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि. व श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. को आरोपी के रहवासी मकान की नियमानुसार खाना तलाशी हेतु रवाना किया गया। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो डिस्पोजल साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसकी ताईद गवाहन द्वारा करने पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सतपाल वरिष्ठ सहायक के दाहीने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सतपाल वरिष्ठ सहायक के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ षिषीयों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। रिश्वत राशि आरोपित श्री सतपाल के पहनी पेंट की बांयी साईड की जेब में से व कार की डेशबोर्ड से प्राप्त हुई है, जिनकी धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री सतपाल के लिए पायजामा की व्यवस्था करवायी जाकर पहनी हुई पेंट को उतरवायी गई। जिसकी धुलवाई करवायी जाना आवष्यक होने से एक साफ नई डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर उक्त घोल में उक्त पेंट की बांयी साईड की जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। डिस्पोजल गिलास के इस मिश्रण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्री सतपाल की उक्त पेंट बरंग ग्रे चेकदार की जेब को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेंट को एक कपड़े की थैली में सील्ड मोहर की गई। रिश्वत राशि पार्किंग में खड़ी गाड़ी एचआर 30 जेड 1116 बरंग सफेद मारूति स्वीफ्ट गाड़ी की डेशबोर्ड से भी बरामद हुई है जिसकी धोवन लेना आवश्यक होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी इन्द्राज, स्वतंत्र गवाहन करण शर्मा व सुरेश कुमार, आरोपी श्री सतपाल व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर वाहन पार्किंग में पहुचं कार का लॉक खुलवाकर उसके डेशबोर्ड को खोलकर उसमें रखे पीले रंग के लिफाफे के उपर व नीचे डेषबोर्ड से बरामद हुई है, जिसकी धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से एक साफ नई डिस्पोजल के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर उक्त घोल में कपड़े की दो छोटी चिंदी को डूबोकर गिला कर उसे पीले रंग के लिफाफे व कार के डेशबोर्ड पर रगड़ कर उसे पुनः घोल में डूबोया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सिल मोहर चिट कर मार्का D-1, D-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर पीले रंग के लिफाफे को चैक किया तो उसमें रिसेल कार केश रिसिप्ट कार नं. एचआर 30 जेड 1116 जो दिनांक 03.10.2024 की है ओर जो सतपाल पुत्र साहबराम के नाम से है व कार की बीमा व आर.सी., इसी कार का एच.डी.एफ.सी. बैंक का कार की एन.ओ.सी. मय फार्म 35 की फोटोप्रति है जिन्हे वापिस पीले लिफाफे में डालकर लिफाफे पर संबंधित के हस्ताक्षकर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। जिन कपड़े की चिंदी से धोवन लिया गया था उन्हे सुखाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। पुनः मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहन, परिवादी व आरोपी व ब्यूरो स्टाफ सहित आरोपी के कार्यालय में पहुंचा व आगे की कार्यवाही शुरू की गई। गवाह श्री करण शर्मा के पास रिश्वत राशि सुरक्षित है जिस पर दोनो गवाहों को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर अंकित नोटों के नंबरो का मिलान बरामदा नोटों के नंबरों से करवाने पर दोनो गवाहन ने हुबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताने पर उक्त नोटों के नंबर फर्द में अंकित किये गये। उक्त बरामद नोटो को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी श्री सतपाल से परिवादी श्री इन्द्राज से संबंधित कार्य की पत्रावली के बारे में व उसके कार्य का पूछने पर श्री सतपाल ने अपने कार्यालय की मेज से एक पत्रावली उठाकर पेश कर बताया की परिवादी श्री इन्द्राज का पुलिया स्वीकृति संबंधी कार्य था, पत्रावली तैयार होकर अध्यक्ष मोडिया वितरिका के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त हुई, प्राप्त होने के उपरांत कनिष्ठ अभियंता को तकमीना व ड्राईंग के लिये भिजवायी गई, कनिष्ठ अभियंता द्वारा ड्राईंग व तकमीना तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत मेरे द्वारा

रिपोर्ट बनाकर सहायक अभियंता को उच्च कार्यालय को स्वीकृति हेतु भिजवाने तैयार कर मेरे पास ही रखी थी, जिस पर सहायक अभियंता द्वारा अभी तक कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये है क्योंकी सहायक अभियंता सुरेन्द्र कुमार ने ही परिवादी श्री इन्द्राज को पूर्व में उसकी बनी हुई पुलिया को तुड़वाने हेतु कहा था, तो प्रार्थी इन्द्राज मेरा पुराना जानकार है इसलिए उसने मेरे से संपर्क किया तो मैने सहायक अभियंता से पूछा तो उन्होने कहा कि जब वो कुछ देना चाहता है तो उसकी पुलिया मंजूर करने हेतु प्रकरण उच्च कार्यालय को भिजवा दूंगा, और मैने उन्ही के कहने से ही ये रिश्वत राशि उनके लिए ली है। मेरा इस रिश्वत राशि से कोई लेनदेन नहीं है। पत्रावली को चैक किया तो उसमें खुले कागज है जिसमें कार्यालय सहायक अभियंता, घग्घर उपखण्ड,जलसंसाधन हनुमानगढ़ जं. का अधिषाषी अभियंता, जलसंसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ के नाम जारी पत्र परिवादी से संबंधित पुलिया स्वीकृति संबंधी बिना हस्ताक्षरित व बिना डिस्पेच, तकनीकी रिपोर्ट बिना हस्ताक्षरित, डिटेल एस्टीमेट दो पृष्ठ जिस पर जेईएन के हस्ताक्षर है, नक्शा जिस पर जेईएन के हस्ताक्षर है व बिना हस्ताक्षरित, तकमीना जिस पर जेईएन के हस्ताक्षर है, कार्यालय अध्यक्ष वितरण समिति मोडिया वितरिका का मूल पत्र, नजरिया नक्शा, रिपोर्ट सहमति पत्र पुलिया निर्माण, एक शपथ पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रार्थी रणजीतराम के नाम से, पुलिया स्वीकृति बाबत प्रार्थी रणजीत राम का अधिषाषी अभियंता जलसंसाधन खण्ड ii हनुमानगढ़ संगम के नाम जिस पर परिवादी श्री इन्द्राज के हस्ताक्षर है व उक्त दस्तावेजों की कार्यालय प्रति व फोटोप्रति है जिस पर आरोपी श्री सतपाल के इनिशियल हस्ताक्षर किये हुए है। दौराने कार्यवाही रात्रि के 10.05 पीएम पर तलविदा श्री सुरेन्द्र कुमार सहायक अभियंता कार्यालय में उपस्थित आये जिनसे परिवादी से संबंधित कार्य के बारे में पूछा गया तो बताया कि परिवादी से संबंधित पुलिया की आनलाईन शिकायत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था और प्रार्थी इन्द्राज को पुलिया अवैध होने बाबत बताया था जिस पर प्रार्थी इन्द्राज द्वारा पुलिया स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही की गई थी जो अधिषाषी अभियंता खण्ड द्वितीय कार्यालय से मेरे कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था जिसे मैने नियमानुसार कार्यवाही अनुसार अध्यक्ष को भिजवाया था उससे वापिस रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी, उसमें कनिष्ठ अभियंता द्वारा एस्टीमेट तैयार किया गया,जिसके आधार पर श्री सतपाल वरिष्ठ सहायक द्वारा आगे की कार्यवाही की गई। मेरे पास अतिरिक्त चार्ज होने के कारण मैने अभी तक पत्रावली का अवलोकन नहीं किया था इस कारण मैने अभी तक हस्ताक्षर कर अधिषाषी अभियंता कार्यालय नहीं भिजवायी थी। रिश्वत राशि के संबंध में मुझे ज्ञात नहीं है और ना ही मेरे द्वारा श्री सतपाल को इस कार्य के लिए कोई रिश्वत राशि लेने बाबत कहा गया था। उक्त दस्तावेजों की कार्यालय प्रति व फोटोप्रति को सहायक अभियंता सुरेन्द्र कुमार से प्रमाणित करवाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया, व मूल दस्तावेज परिवादी से सबंधित अग्रिम कार्य हेतु मौके पर उपस्थित सहायक अभियंता श्री सुरेन्द्र कुमार को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किये गये। उपरोक्त कार्यवाही में आरोपी सतपाल वरिष्ठ सहायक के हाथों व जेब धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी तथा परिवादी व आरोपी से पूछताछ का मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल से विडियो क्लीप तैयार करवायी गई। इस कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलवाई तैयार कर फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 10.50 पीएम पर नमूना सील तैयार की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री सतपाल वरिष्ठ सहायक को जरिये फर्द हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री सतपाल वरिष्ठ सहायक का मेडिकल चैकअप करवाया गया। समय 11.45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो गवाहन व ब्यूरो स्टाफ मय कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत सील्डशुदा आठ धोवन की शिशियों, सील्डशुदा रिश्वत राशि 15000/-रूपये, सील्डशुदा आरोपी की पेंट की थैली, सील्डशुदा कपड़े की थैली जिसमें कपड़े की चिंदी, ट्रेप बाक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर व अन्य ट्रेपसामग्री के मौके से रवाना हुआ, परिवादी श्री इन्द्राज को आवश्यक हिदायत कर वहीं से रवाना किया गया। समय 11.50 पीएम पर जल संसाधन विभाग से रवाना होकर मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंचा, दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया, संदीप मुख्य आरक्षक को ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत सील्डशुदा आठ धोवन की शिशियों, सील्डशुदा रिश्वत राशि 15000/-रूपये, सील्डशुदा आरोपी की पेंट की थैली, सील्डशुदा कपड़े की थैली जिसमें कपड़े की चिंदी, का मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु निर्देश दिये जाकर संभलाये गये। आरोपी सतपाल वरिष्ठ सहायक को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्षंन के हवालात में रखवाया गया। दिनांक 24.10.2024 को वक्त 08.00 एएम पर परिवादी श्री इन्द्राज ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। समय 08.05 एएम पर स्वतंत्र गवाह श्री करण शर्मा व श्री सुरेश कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 08.10 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 23.10.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी. आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 11.00 एएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 23.10.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो नये पैन ड्राईव 8 जीबी के मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ता को दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-985d74b3ad207c98cb04ce41ce1f3ed0ea7f9e01 है। इनमें से एक पैन ड्राईव मार्क ए-1 को उसके कवर में डालकर कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर सील्ड किया गया व थैली पर हैश वैल्यू अंकित

हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 23.10.2024 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है जिसकी लैपटॉप की सहायता से हैश वेल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली पर हैश वैल्यू अंकित कर फर्द मुर्तिब की गई। दिनांक 24.10.2024 समय 11.10 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 23.10.2024 को हुई रिष्वत लेन देन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 01.10 पीएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 23.10.2024 को वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो नये पैन ड्राईव मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ता को दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क बी-1, मार्क बी-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क बी-1, बी-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-
28e51050e32c31cc08a79ad53201f6b70ace2b69 है। इनमें से एक पैन ड्राईव मार्क बी-1 को उसके कवर में डालकर कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर सील्ड किया गया व थैली पर हैश वैल्यू अंकित कर हाजरीन के थैली पर हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरा पैन ड्राईव कवर में डालकर खुला रखा गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 23.10.2024 को वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है जिसकी लैपटॉप की सहायतस से हैश वेल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली पर हैश वैल्यू अंकित कर फर्द मुर्तिब की गई। समय 01.15 पीएम पर आरोपी सतपाल वरिष्ठ सहायक के हाथों व जेब धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी तथा परिवादी व आरोपी से पूछताछ का मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल से विडियो क्लीप तैयार करवायी गई थी जिसकी विडियो क्लीप मेरे मोबाईल में सेव है, उक्त विडियो क्लीप के लिए दो नये पैन ड्राईव 8 जीबी मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त विडियो क्लीप को दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क सी-1, मार्क सी-2 दिया गया। इनमें से एक पैन ड्राईव मार्क सी-1 को उसके कवर में डालकर कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर सील्ड किया गया व दूसरा पैन ड्राईव कवर में डालकर खुला रखा गया। फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 01.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री इन्द्राज, स्वतंत्र गवाह श्री करण शर्मा व सुरेश कुमार, ब्यूरो स्टाफ श्री खियांराम सउनि., श्री विनय विशाल कानि., श्री ओमप्रकाश कानि. ड्रा. को जरिये सरकारी वाहन हमराह लेकर घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार करने हेतु ब्यूरो कार्यालय से जल संसाधन विभाग के लिये रवाना हुआ। घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका कसीद किया जाकर फर्द मुर्तिब कर वापिस ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये, तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई, गवाहन एवं परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहन को रूख्सत किया गया। इस प्रकार परिवादी श्री इन्द्राज पुत्र श्री रणजीत राम जाति जाट उम्र-39 वर्ष निवासी 35 एम.ओ.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2024 में अंकित तथ्यों एंव मजमून दरियाफ्त के आधार पर दिनांक 23.10.2024 को करवाये गये रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन से आरोपी सतपाल वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी से उसकी पुलिया स्वीकृति की फाईल को तैयार कर उसमें एस्टीमेट बनाकर एक्सईएन कार्यालय में भिजवाने के लिए वक्त सत्यापन 15000/-रूपये रिश्वत मांग करने के तथ्य रिकॉर्ड पर आने व वक्त रिष्वत लेन देन आरोपी श्री सतपाल वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री इन्द्राज से 15000/-रूपये प्राप्त कर 6000/-रूपये अपनी पहनी पेंट की बांयी साईड की जेब व 9000/-रूपये कार की डेश बोर्ड से बरामद होने, आरोपी के दोनो हाथों व पेन्ट की जेब धुलवाई से प्राप्त धोवन गुलाबी व कार की डेश बोर्ड से प्राप्त धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिष्वत लेने की पुष्टि होने, परिवादी का कार्य आरोपी के पास पेण्डिग होने व आरोपी सतपाल वरिष्ठ सहायक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर आरोपी के द्वारा परिवादी से उसकी पुलिया स्वीकृति की फाईल को तैयार कर उसमें एस्टीमेट बनाकर एक्सईएन कार्यालय में भिजवाने के लिए वक्त सत्यापन 15000/-रूपये मांग करना व वर वक्त ट्रेप कार्यवाही 15000/-रूपये प्राप्त करना पाये जाने पर आरोपी श्री सतपाल वरिष्ठ सहायक के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया गया है। श्री पंकज बाबू एक्सईएन कार्यालय की भूमिका के संबंध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट की जायेगी। अतः आरोपित श्री सतपाल पुत्र श्री साहबराम जाखड़, उम्र- 52 वर्ष, निवासी कैनाल कॉलोनी हनुमानगढ़ हाल निवास वार्ड नं. 56, सुरेशिया हनुमानगढ़ जक्शंन हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, सर्वे एंव अन्वेषण, इ.गा.न.प. चतुर्थ हनुमानगढ़ हाल प्रतिनियुक्ति कार्यालय सहायक अभियंता घग्घर उपखंड जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपेर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (राजेन्द्र सिह) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़.......... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिह, पुलिस निरीक्षक,भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सतपाल पुत्र श्री साहबराम जाखड़, उम्र- 52 वर्ष, निवासी कैनाल कॉलोनी हनुमानगढ़ हाल निवास वार्ड नं. 56, सुरेशिया हनुमानगढ़ जक्शंन हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, सर्वे एंव अन्वेषण, इ.गा.न.प. चतुर्थ हनुमानगढ़ हाल प्रतिनियुक्ति कार्यालय सहायक अभियंता घग्घर उपखंड जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़० के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजेन्द्र शीला, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 890 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1289-92 दिनांक 25-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर। 2-मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vijendra Kumar Siila **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2_/_0/2024 __:__:_2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/05/1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)